



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-2357/JH/59/2023-ESDW

उपायुक्त,  
जिला-रांची,  
कचहरी चौक ब्लॉक-बी,  
कमरा नंबर-504,  
राँची-834001, झारखण्ड  
ई-मेल: dc-ran@nic.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला-रांची,  
झारखंड पुलिस मुख्यालय,  
धुर्वा, राँची-834004, झारखंड  
ई-मेल: ssp-  
ranchi@jhpolicе.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक 18 मई, 2026 को 13:00 HRS बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

**मामलों का संदर्भ :-**

संदर्भ 1 (i) गैर आदिवासियों द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने किए जाने के संबंध में श्री अक्षय कुमार भोगता पुत्र ससनातन भोगता, ग्रामटेटेबन्दा-, टोलाचारलू-, थानासिल्ली-, जिलाराँची-, झारखण्ड से दिनांक 04.10.2023 का अभ्यावेदन।

(ii) पत्रांक 1640/जि0/वि0/को0 दिनांक 24.07.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 08.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

*[Signature]*

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Loknayan Bhawan, New Delhi-110003